International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 02(III), April - June, 2023, pp. 239-246

भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव/नियुक्तः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रोफेसर (डॉ.) शकीला नकवी*

सार

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव समस्त विश्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस लेख में सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से लेकर 2019 तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों के चुनाव का विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है। भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव के तरीके एवं जीत से ही भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिका तय हो जाती हैं कि वह अत्यधिक शक्तिशाली भूमिका निर्वाह करेगा अथवा कमजोर प्रधानमंत्री होगा। उदाहरण, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं नरेन्द्र मोदी की नियुक्ति के समय ही उनकी भूमिका के बारे में अनेक भविष्यवाणी हो गई थी जो सच साबित हुई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की शक्ति केवल शपथ दिलाने तक ही सीमित है। हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति/चयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका का आकलन करना। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का कोई एक प्रतिमान नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री पद को संस्थागत प्रतिमान की अपेक्षा व्यक्तित्व ही अधिक प्रभावित करता है। चमत्कारी व्यक्तित्व तथा बर्हिमुखी व्यक्तित्व सफलता की गारंटी है। खुलकर अपनी बात जनता के समक्ष पेश करने की कला एवं अपनी उपलब्धियों तथा विपक्ष की कमजोरी का प्रचार–प्रसार करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के चुनाव में मिडिया के सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करना।

शब्दकोषः *संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, अनुशासनहीनता, स्ट्रेटजिस्ट।*

प्रस्तावना

हमारे देश में लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें प्रधानमंत्री वास्तविक शासक होता है। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री का चयन राजनीतिक दल करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री सम्बन्धित दल की पसंद का व्यक्ति होता है। चूँकि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री सर्वप्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है, इसलिए उसकी नियुक्ति सम्पूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केन्द्र होती है।

भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री बना है या उसकी नियुक्ति बाहरी समर्थन के कारण हुई है। प्रधानमंत्री की भूमिका को यह तत्व सर्वाधिक प्रभावित करता है।

जब भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात होती है तो हम इसे संवैधानिक और व्यावहारिक स्थिति के रूप में देखते हैं।

- संवैधानिक स्थिति
- व्यावहारिक स्थिति

---

* आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

संवैधानिक स्थिति

अनुच्छेद 75 (1) में उल्लेख है, ''प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।[1]

भारत के संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है तो क्या वह किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करेगा ? इस प्रश्न का उत्तर संविधान के अन्तर्गत नहीं खोजा जा सकता है वरन् इसका उत्तर ब्रिटिश परम्पराओं में निहित है। ब्रिटेन में बहुमत दल के नेता को ही सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। भारत में भी संसद के निम्न सदन लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का के रूप में नियुक्त करना चाहिए। भारत में इस परम्परा का सामान्यतया पालन किया गया है किन्तु कुछ अवसरों पर इस परम्परा का उल्लंघन भी हुआ है। 1966 में प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के समय श्रीमती गाँधी राज्यसभा की सदस्या थी और 1996 में देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे वरन कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल और डॉ. मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के सदस्य थे। इस बारे में अनुच्छेद 75 (5) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अनुच्छेद 75 (5) के अनुसार, ''कोई मंत्री जो निरन्तर छह माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।''[2] अर्थात् संविधान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद् के प्रत्येक सदस्य को लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए।

हमारा संविधान इस बात की छूट देता है कि यदि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री अथवा मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो नियुक्ति से छह मास की अवधि तक वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाये। प्रधानमंत्री देवेगौड़ा छह मास के अन्तर्गत राज्यसभा चुनाव जीतकर सदस्य बने थे और डॉ. मनमोहन सिंह भी राज्यसभा सदस्य बने थे।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में व्यावहारिक स्थिति

अगर हम व्यवहार में देखे तो पायेंगे कि प्रधानमंत्री बहुमत से जीतकर अपने बूते पर प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो या बाहरी समर्थन से इस पद पर आए प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका नाममात्र की होती है। बहुमत जुटाना व इसको सदन में साबित करना दल व प्रधानमंत्री का काम होता है। कभी–कभी ही राष्ट्रपति सक्रिय हुए हैं। वास्तव में भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को मनोनीत करता है।

जवाहरलाल नेहरू

प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री पद के दो सशक्त दावेदार थे– पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल।[3] राष्ट्रपति महात्मा गाँधी ने इन दोनों की तुलना गाड़ी के 'दो बैलों' से की थी।[4] दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व था तथा दोनों ही शक्तिशाली थे, बल्कि अनेक मामलों में वह नेहरू से अधिक शक्ति रखते थे, किन्तु गाँधीजी के हस्तक्षेप के कारण जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। उनका व्यक्तित्व चमत्कारी था तथा अन्तर्राष्ट्रीय छवि सुदृढ़ थी। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में विशेषकर सरदार पटेल के जीवित रहने तक वह प्रधानमंत्री नेहरू की शक्तियों एवं निर्णयों में भागीदार थे पटेल के पश्चात् नेहरू के निर्वाचन को चुनौती देने वाला दल व दल के बाहर पूरे देश में कोई नहीं था। अतः 1952 से 1962 तक वह निर्विवाद रूप से शक्तिशाली भूमिका का निर्वाह कर पाए।

लाल बहादुर शास्त्री

भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री के दावेदार मोरारजी देसाई थे। सिंडिकेट नेताओं की कृपा से लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री पद पर चुनाव हुआ था अतः मंत्रिमण्डल निर्माण तथा अन्य सभी कार्यों में दलीय नेताओं का व्यापक प्रभाव था।[5] वे इस कारण साहसिक फैसले न ले सके शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई।

श्रीमती इन्दिरा गांधी

श्रीमती इन्दिरा गाँधी का प्रधानमंत्री पद पर चुनाव दलीय नेताओं की सक्रिय भागीदारी के कारण हुआ था। कामराज दलीय अध्यक्ष थे जो राज निर्माता बने।[6] अन्यथा मोरारजी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। उनके चुनाव में बाहरी तत्त्वों का हाथ था। इस कारण वह 1966 से 1971 तक शक्तिशाली भूमिका का निर्वाह न कर सकी। 1971 के आम चुनाव में, जबरदस्त जनादेश से जीती और अपनी शक्ति के बूते पर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हुई। 1980 के आम चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीतकर इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुई। उन्होंने अनेक साहसिक फैसले लिए। जनरल भिण्डरावाले व अन्य सिख खालिस्तान की माँग पर अड़े। स्वर्ण मंदिर में हथियार जमा करने पर श्रीमती गाँधी ने स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्यवाही की जिससे क्षुब्ध होकर उनके सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी।

श्रीमती गाँधी जैसी दूरदर्शी व 'आयरन लेडी' प्रधानमंत्री ने शक्ति के नये आयाम स्थापित किए। देश व विदेश में भारत को ऊँचाइयों तक पहुँचाया।

मोरारजी देसाई

चतुर्थ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई प्रारम्भ से ही स्वयं को इस पद के दावेदार मानते थे। उनकी आकांक्षाओं के कारण 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ– श्रीमती गांधी की कांग्रेस (I) और सिंडिकेट की कांग्रेस, (O)। फिर वह कांग्रेस (O) से 1975 में जनता पार्टी में चले गए। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया, किन्तु प्रधानमंत्री पद के दो अन्य दावेदार थे चौधरी चरणसिंह और जगजीवनराम। जयप्रकाश नारायण ने किंग मेकर बनकर मोरारजी देसाई का समर्थन किया और वे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। मोरारजी देसाई ने अपनी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को कभी नहीं छिपाया किन्तु वह जुलाई 1979 तक ही प्रधानमंत्री रह सके।

चौधरी चरणसिंह

चौधरी चरणसिंह ने जनता पार्टी की सरकार तोड़ने की भरपूर कोशिश की। जनता पार्टी के बारे में कुर्बान अली बताते हैं, ''जनता पार्टी में झगड़े बहुत बढ़ रहे थे, एक–दूसरे के खिलाफ लेख लिखे जा रहे थे और रोज अनुशासनहीनता बढ़ रही थी।[8] चौधरी चरणसिंह की उस समय बहुत किरकिरी हुई थी, जब जनता पार्टी टूटने के बाद उन्होंने कांग्रेस का सहारा लिया।

कुर्बान अली के अनुसार, ''इंदिरा गाँधी के खिलाफ उनका पूर्वाग्रह तो पहले दिन से ही था।'' चरणसिंह ने गृह मंत्री के रूप में इंदिरा गाँधी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे।[9] फिर भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का ही सहारा लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस ने उनकी सरकार से समर्थन वापिस ले लिया।

82 सांसद अपने समर्थन में लेकर चौधरी चरणसिंह ने जनता पार्टी सरकार तोड़ी। मोरारजी के पास मुश्किल से 20–22 सांसद रह गए। अतः प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया और चौधरी चरणसिंह प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वे कुछ ही दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापिस लेते ही उनकी सरकार गिर गई। चौधरी चरणसिंह अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते कभी संसद का सामना नहीं किया।[10]

राजीव गाँधी

श्रीमती गाँधी की हत्या के तुरन्त बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देश के आम चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत से जीतकर 1984 में राजीव गाँधी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। युवा प्रधानमंत्री की अनेक उपलब्धियाँ रहीं, किन्तु शीघ्र ही उन पर अनेक आरोप लगे। उनकी आलोचना हुई। राजीव गाँधी पर सबसे बड़ा आरोप 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले में संलिप्त होने का लगा जिसके कारण उनको प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा।

श्रीलंका में तमिल समस्या सुलझाने पर एक तमिल द्वारा उनकी जघन्य हत्या कर दी गई।

वी.पी. सिंह

जब बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उछल रहा था ऐसी परिस्थितियों में 1989 में देश के आम चुनाव हुए। वी. पी. सिंह और विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दे के रूप में पेश किया। कांग्रेस को भारी क्षति उठानी पड़ी उसे मात्र 197 सीटें प्राप्त हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटे मिलीं। भाजपा के 86 सांसद थे तथा वामदलों के 52 सांसद थे। भाजपा और वामदलों के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए।[11] उनका शासनकाल एक साल से कम चला। 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक राममंदिर आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी के सामने झुकने से मना कर दिया लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने वी. पी. सिंह सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लिया। उस वक्त नेतृत्व परिवर्तन कर सरकार बच सकती थी किन्तु उसके लिए वी. पी. सिंह तैयार नहीं थे।

तभी राजीव गाँधी ने चन्द्रशेखर से सम्पर्क किया और बाहरी समर्थन देने की बात कही और इस वजह से उनकी अल्पमत सरकार गिर गई। वी.पी. सिंह सरकार बाहरी समर्थन के कारण न केवल अल्पमत में थी, बल्कि अंदरूनी कलह भी था चन्द्रशेखर और देवीलाल भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए। ऐसे समय में यह तय किया गया कि. वी. पी. सिंह प्रधानमंत्री तथा चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनाए जायेंगे।[12] बहुमत न होने के कारण शीघ्र ही सरकार का पतन हो गया।

चन्द्रशेखर

चन्द्रशेखर ने जनता दल के कुछ नेता तोड़कर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की। उनकी पार्टी में केवल 66 सांसद थे जो मंत्रिमण्डल बनाने लायक भी न थे। बार–बार चुनाव कराने की वजह से कांग्रेस ने चन्द्रशेखर को बाहरी समर्थन दिया और बहुत छोटे बहुमत की सरकार बन गई। उनकी सरकार 10 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991 तक रही।

1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार के पतन के बाद अत्यन्त विषम परिस्थितियों में वे कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने और शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया।

चन्द्रशेखर ने राजीव गाँधी से सम्पर्क किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा जिन्दगी का कारवां' में लिखा है, ''मैंने कहा, सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक आधार नहीं है। मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस पर उन्होंने (राजीव गांधी) कहा कि आप सरकार बनाइए हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। मैंने कहा, अच्छा हो, अगर कांग्रेस के लोग भी सरकार में शामिल हो जाएँ। राजीव ने कहा, एक दो महीने बाद हमारे लोग सरकार में शामिल हो जायेंगे।[13]

राम बहादुर राय बताते हैं कि प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर सरकार बनाने के लिए देश हित में तैयार हुए, क्योंकि उस समय देश में खून खराबे का माहौल था। युवक आत्मदाह कर रहे थे। 70–75 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ था। पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे।[14]

पी. वी. नरसिम्हा राव

आखिरकार देश में आम चुनाव हुए और 20 जून, 1991 को पी. वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 1991 में राजीव गाँधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर से कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस ने 244 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। फिर नरसिम्हा राव कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने गए। वे कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार अल्पमत में थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत साबित करने लायक सांसद जुटाए और कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया।[15] नए भारत के निर्माता पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव 15 भाषाओं के ज्ञाता थे। ये पहले ऐसे विद्वान प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत के थे।

अटल बिहारी वाजपेयी

1996 में देश के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इन चुनावों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया किन्तु यह सरकार संसद में बहुमत साबित न कर पाने के कारण 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रही और 13 दिन में ही गिर गई। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते समय अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था, ''हम फिर से आयेंगे जनता के विश्वास और जनादेश के साथ।[16]

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति अपनी योग्यता से हुई, किन्तु उस समय भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने लाल कृष्ण आडवाणी शक्तिशाली नेता थे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, किन्तु धर्मनिरपेक्ष चेहरा होने के कारण अटल जी प्रधानमंत्री बने।[17] कवि होने के नाते उनमें बोलेने की एक कला थी उनकी यह कला गठजोड़ की राजनीति और संघ के नेताओं को सुधारने के काम आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार सन् 1996 और 1998 की परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया।

एच.डी. देवेगौड़ा

बीजेपी सरकार तेरह दिन में गिर गई। कांग्रेस दल निर्णायक रूप से चुनाव हारा। तब संयुक्त मोर्चा (गैर कांग्रेस और गैर भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों का एक समूह) ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का फैसला किया तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हरदनहली डोडेगोड़ा देवगौड़ा ने इसका नेतृत्व किया वे संयुक्त मोर्चा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति ने उन्हें 11वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। वे 1 जून, 1996 से 11 अप्रैल, 1997 तक प्रधानमंत्री रहे।

इन्द्रकुमार गुजराल

अप्रैल 1997 में एच. डी. देवेगौड़ा सरकार लोकसभा में 158 मतों के साथ विश्वास मत हासिल करने में असफल हो गई तो स्वतंत्रता सेनानी एवं विदेश मंत्री इन्द्रकुमार गुजराल के नाम पर आम सहमति बनी और उन्होंने 21 अप्रैल, 1997 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।[18] यह अल्पमत सरकार भी 19 मार्च, 1998 तक ही चली। इस समय प्रधानमंत्री पद के अन्य सशक्त दावेदार थे– मुलायम सिंह, लालू यादव और ममता बनर्जी।

अटल बिहारी वाजपेयी

1998 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। यह भी त्रिशंकु लोकसभा थी। राष्ट्रपति ने समर्थन दे रहे दलों से लिखित आश्वासन लिया तब अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। यह सरकार 13 महीने चली। 1999 में बजट सत्र के दौरान जयललिता ने सरकार से समर्थन वापिस लिया। कांग्रेस के एक विवादास्पद वोट से भाजपा सरकार पराजित हो गई।[19]

फिर देश में आम चुनाव हुए भाजपा ने 'सुशासन' का नारा दिया। भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और पर्याप्त बहुमत पाया। राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया[20] और राजग की सरकार 5 वर्ष तक सफलतापूर्वक रही। वे मिली–जुली सरकार के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के 5 साल पूरे किए। उनकी सरकार में 24 दलों का गठबंधन था।

डॉ. मनमोहन सिंह

2004 के आम चुनाव में दो गठबंधन आ गए थे। भाजपा व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) एकजुट होकर चुनाव में उतरे। दूसरी ओर कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए–1) मिलकर चुनाव पड़े। चुनाव परिणाम राजग के विपरीत रहे और कांग्रेस की यूपीए सरकार जीती। उस समय कांग्रेस श्रीमती सोनिया गाँधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी किन्तु देश में तीव्र विरोध के कारण वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकीं। विपक्ष एक विदेशी को प्रधानमंत्री पद नहीं देना चाहते थे।

सोनिया गाँधी के विदेशी मूल के मुद्दे को खूब उछाला गया। अनेक कारणों से सोनिया गाँधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मना कर दिया और एक साफ सुथरी छवि वाले वैश्विक अर्थशास्त्री प्रबंधक डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया।[21] उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व से पूरा देश प्रभावित था। वह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यह पद ग्रहण करने से पूर्व ही भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ला खड़ा किया। हिन्दुस्तान टाइम्स ने उनके प्रधानमंत्री पद पर चयन निर्वाचन पर कहा कि आर्थिक सुधारों को मनमोहन सिंह से पूर्व तथा मनमोहन के बाद के काल में विभाजित करके देखा जाये तो मनुष्यता उनके काल में ही नजर आएगी[22] जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति प्रधानमंत्री पद तक पहुँचा।

भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि अल्पसंख्यकों से एक सिख डेढ़ अरब की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री बना है।[23] किन्तु चुनाव के समय प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम नहीं था। चुनाव उनके नाम से नहीं लड़ा गया यह खास बात थी कि मनमोहन को प्रधानमंत्री उनकी पार्टी ने नहीं, बल्कि श्रीमती गाँधी की इच्छा ने बनाया।[24] एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया।

उनके चयन के हालातों से ही भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका तय हो जाती है। कुछ पत्रकारों के शपथ ग्रहण के कुछ समय बाद ही लिखने में संकोच न किया कि वे प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती गाँधी के साये में ही विचरण करेंगे। भारत में केन्द्रीय सत्ता के दो बिन्दु होंगे– मनमोहन सिंह और सोनिया गाँधी। ''असली प्रधानमंत्री और अमली प्रधानमंत्री के स्वरूप की टक्कर होगी।''[25]

पर्दे की पीछे शासक तो श्रीमती सोनिया गाँधी ही रही जिसमें इसे श्रीमती गाँधी का त्याग माना गया। उन्होंने दल के वरिष्ठ नेता डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और 22 मई, 2004 को डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। कांग्रेस दल में प्रधानमंत्री के अन्य दावेदार थे अर्जुन सिंह, शरद पंवार आदि ।

डॉ. मनमोहन प्रधानमंत्री तो बन गए किन्तु वे गैर राजनीतिक व्यक्ति थे वे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, सरकार के आर्थिक सलाहकार इत्यादि बड़ी उपलब्धियाँ उनके खाते में थी किन्तु उनकी सरकार मिली–जुली गठबंधन सरकार थी जिस पर अनेक दबाव थे। पर्दे के पीछे श्रीमती सोनिया गाँधी व राहुल गाँधी की सरकार थी फिर भी 5 वर्ष तक स्थिर सरकार दी तो देश के 2009 के आम चुनाव में दुबारा कांग्रेस का यूपीए–2 गठबंधन जीता और डॉ. मनमोहन पुनः प्रधानमंत्री बने थे 23 मई, 2014 तक सफलतापूर्वक रहे। वे पंडित नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिनको पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला।

नरेन्द्र मोदी

13 सितम्बर, 2013 में गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।[26] इससे भाजपा का सबसे ताकतवर आडवाणी कैंप नाराज था। इस लोकसभा चुनाव में मोदी मुख्य विपक्षी दल भाजपा के स्टार प्रचारक थे।

16वीं लोकसभा के चुनाव और नरेन्द्र मोदी की जीत पर पत्रकार लेखक अशोक श्रीवास्तव ने 'नरेन्द्र मोदी सेंसर्ड' नामक पुस्तक लिखी। 10 साल बाद दिल्ली की सत्ता में भगवा पार्टी की वापसी के लिए नरेन्द्र मोदी ने दिन–रात एक कर दिए।[27] प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने पर मोदी ने सितम्बर से मार्च तक सात महीने तक पूरे देश का तूफानी दौरा किया। नरेन्द्र मोदी के अनुसार, वे भारत के अकेले राजनेता है जो भारत के 400 से अधिक जिलों में गए, रात में रुके, भ्रमण किया फिर रात में ट्रेन में भी सोए।[28]

उन्होंने अलग–अलग शहरों में बड़ी–बड़ी जन सभाएँ कीं जिसमें वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की 'माँ बेटे की जोड़ी' पर जबरदस्त प्रहार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान ये हमले अपनी चरम सीमा पर थे। चुनावी रणनीति में राहुल और सोनिया गाँधी मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे।[29]

अशोक श्रीवास्तव ने लिखा है कि नरेन्द्र मोदी 'मास्टर स्ट्रेटजिस्ट' हैं। वह इस फन के उस्ताद है कि बाजी कैसे पलटी जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम ने जिस कुशलता और

चतुराई के साथ चुनाव प्रबंधन किया वो अपने आप में एक मिसाल है। टीम मोदी की सटीक रणनीति के चलते ही ऐसा संभव हो सका कि चार महीने लंबी चली चुनावी प्रक्रिया के दौरान अक्सर मोदी के सामने उनके विरोधी बौने दिखाई दिए। टीम मोदी ने कई बार ऐसी व्यूह रचना की जिसकी विरोधियों के पास कोई काट नहीं थी। बहुत से ऐसे मौके भी आए जहाँ परास्त होते दिख रहे मोदी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया और विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़कर पहले से अधिक पराक्रमी होकर उभरते दिखे।[30] नरेन्द्र मोदी का भाजपा का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाए जाने से खफा लाल कृष्ण आडवाणी पूरे चुनाव में कुछ नहीं बोले।

पहली बार 543 लोकसभा सीटों के लिए 9 चरणों में वोट डाले गए। यह लम्बी चुनाव अवधि थी। 16वीं लोकसभा चुनावों में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली।[31]

पूरे लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के नाम से लड़े गए। ''नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है या मोदी को हराना है।'' पूरा देश दो खेमों में नजर आ रहा था।[32] अबकी बार मोदी सरकार' जैसे नारे के दम पर चुनाव लड़ा और जीते। प्रधानमंत्री के निर्वाचन के तरीके एवं जीत से ही भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की सर्वशक्तिशाली भूमिका तय हो गई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत में देश में धुआँधार चुनाव प्रचार के नये–नये तरीकों के साथ मीडिया और सोशल मीडिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। लेखक ने सोशल मीडिया को बड़ी ताकत बताया। उनके अनुसार यह ऐसा हथियार है जो दो तरफा वार करता है।[33] प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती गई और देश–विदेश में नाम कमाया। पाँच वर्ष सफलतापूर्वक सरकार चलाने के बाद वे पुनः पूर्ण बहुमत से जीतकर 30 मई, 2019 को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। 'एक बार फिर मोदी सरकार' जैसे नारे चर्चा का विषय बने । अपनी शक्ति के बूते पर पुनः प्रधानमंत्री बने हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, किन्तु वास्तव में राष्ट्रपति की यह शक्ति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने तक ही सीमित है।

राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को देश के आम चुनावों में बहुमत न मिले तो वह सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यदि वह दल सरकार न बनाना चाहे, जैसे 1989 के चुनाव में कांग्रेस का सीटों का बहुत नुकसान हुआ किन्तु वे लोकसभा में सबसे बड़ा दल थी तो भी उसने अपनी नैतिक हार मानी और सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। अतः विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बीजेपी और वामपंथी दलों की मदद से सरकार बनाई। राष्ट्रपति ने 66 सांसदों के बहुमत प्राप्त चन्द्रशेखर को ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।

इससे पूर्व 1979 में राष्ट्रपति द्वारा चौधरी चरणसिंह की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति भी विवादास्पद ही रही। अतः भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का कोई एक प्रतिमान नहीं है। पं. जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गाँधी, राजीव गाँधी, पी. वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेन्द्र मोदी ने भारतीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। श्रीमती गाँधी के बाद नरेन्द्र मोदी ही भारतीय राजनीति में सर्वशक्तिशाली भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का संविधान, अनुच्छेद 75 (1)
2. भारत का संविधान, अनुच्छेद 75 (5)
3. पी. एम्स पॉवर्स क्लैश ऑफ जॉइण्टस, स्टेट्स वॉल्यूम 4 संख्या 23, 1 सितम्बर, 1973, 10–14
4. उपर्युक्त पृ. 10–14

5. नोक्स, रॉले : द अन ईजी टूस अमंग नेहरूज हेयरर्स, द रिपोर्टर (न्यूयॉर्क) वॉल्यूम 31, 2 जुलाई, 1964, पृ. 19–21
6. सरकार, आर.सी.एस. : द ऑफिस ऑव प्राइम मिनिस्टर स्टेट्स, वॉल्यूम 4, संख्या 23, 15 सितम्बर 1973, पृ. 19–20
7. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद : राष्ट्रपति, संसद और प्रधानमंत्री, साहित्य संगम, इलाहाबाद, 1995, पृ. 67
8. सिंह, डॉ. मनवीर : भारत के प्रधानमंत्री, विश्व भारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2020, पृ. 130
9. उपर्युक्त, पृ. 129
10. उपर्युक्त पृ. 130
11. उपर्युक्त, पृ. 154
12. उपर्युक्त पृ. 154
13. उपर्युक्त पृ. 169–170
14. उपर्युक्त, पृ. 170
15. उपर्युक्त, पृ. 176
16. ना. मा. घटाटे : गठबंधन की राजनीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2002, पृ.17
17. उपर्युक्त
18. सारस्वत माधवानन्द, भारत के प्रधानमंत्री, प्रियंका प्रकाशन, पिलानी, 2010, पृ. 136
19. ना. मा. घटाटे : गठबंधन की राजनीति, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2002, पृ. 10
20. उपर्युक्त पृ. 10
21. वीर, बी. एस. सेठी, सुरिन्दर वीर, सोढ़ी रविन्द्र सिंह एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह, भारती श्री प्रकाशन, दिल्ली, 2005, पृ. 13
22. हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 मई, 2004
23. वीर, बी. एस. सेठी, सुरिन्दर वीर, सोढ़ी रविन्द्र सिंह : एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, भारती श्री प्रकाशन, दिल्ली, 2005, पृ. 18
24. उपर्युक्त, पृ. 65
25. उपर्युक्त, पृ. 104
26. दि हिन्दू, 14 सितम्बर, 2013
27. श्रीवास्तव, अशोक, नरेन्द्र मोदी सेंसर्ड, अनिल प्रकाशन, दिल्ली, 2019, पृ. 30
28. उपर्युक्त, पृ. 181
29. उपर्युक्त पृ. 50
30. उपर्युक्त, पृ. 149
31. दैनिक भास्कर, 17 मई, 2014
32. श्रीवास्तव, अशोक, नरेन्द्र मोदी सेंसर्ड, अनिल प्रकाशन, दिल्ली, 2019, पृ. 62
33. उपर्युक्त, पृ. 29 एवं 83.

❖◆❖